



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14, 2012, शनिवार/पौष 18—पौष 24, 1933
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 8—JANUARY 14, 2012, SATURDAY/PAUSA 18—PAUSA 24, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 9.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महाराजिस्ट्रार के कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य का कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड-III के भर्ती नियम, 2007 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महाराजिस्ट्रार के कार्यालय के भाषा प्रभाग के साथ-साथ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में निदेशक, जनगणना कार्य का कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य का कार्यालय आशुलिपिक ग्रेड-II भर्ती नियम, 2012 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

